JALAUN POLICE

दिनांक – 19.11.2026

कोतवाली कोंच पुलिस एवं एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम देने वाले 25,000/-रुपये के ईनामिया अन्तर्राज्यीय अभियुक्त शिवम को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया, कब्जे से अवैध असलहा, जिन्दा/खोखा कारतूस, सफेद धातु के आभूषण एवं नकदी बरामद।

अवगत कराना है कि वादी द्वारा कोतवाली कोंच में तहरीरी सूचना दी गयी कि 04/05.09.2026 की रात्रि में अज्ञात व्यक्ति घर में बंधक बनाकर जेवरात ले गये है। प्रार्थना पत्र के आधार कोतवाली कोंच में मु0अ0सं0 188/26 धारा 309 (4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

अपर पुलिस महानिदेशक महोदया, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय, झांसी परिक्षेत्र, झांसी श्री आकाश कुलहरि के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन श्री सुरेश चन्द्र रावत के पर्यवेक्षण तथा अपर पुलिस अधीक्षक जालौन डॉ0 ईशान सोनी के नेतृत्व में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 19.11.2026 को कोतवाली कोंच पुलिस व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा कोतवाली कोंच क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, मुखविर की सूचना पर कैलिया बाईपास मार्ग पर चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को घेरावन्दी कर रोकने का प्रयास किया गया तभी संदिग्ध व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया, जिसमे पुलिस टीम बाल-बाल बची तथा आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जवाबी एवं नियंत्रित फ़ायरिंग की गई। जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। घायल अभियुक्त को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है।

प्रारम्भिक पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम शिवम प्रजापति पुत्र देखराज निवासी ग्राम डोंगरपुर, थाना गोराघाट, जनपद दतिया, मध्य प्रदेश बताया है तथा अभियुक्त द्वारा दिनाँक 04/05-09-2026 को ग्राम सिमरिया कोतवाली कोंच में एक बुजुर्ग दम्पत्ति के घर अपने साथियों के साथ डकैती की घटना कारित करना स्वीकार किया गया है। उक्त घटना में 04 अभियुक्तगण को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

उक्त पुलिस मुठभेड़ एवं बरामदगी के संबंध में कोतवाली कोंच पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी आस-पास के थानो/ जनपदों/प्रदेश से की जा रही है।

अभियुक्त का विवरण-

1. शिवम प्रजापति पुत्र देखराज, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी ग्राम डोंगरपुर, थाना गोराघाट, जनपद दतिया, मध्य प्रदेश (घायल अभियुक्त)।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अदद असलहा 315 बोर, 01 अदद खोखा , 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
2. सफेद धातु के जेवरात तथा 700 रुपये नगद बरामद

पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कोंच मय पुलिस टीम
2. प्रभारी एसओजी मय टीम।